इस शीर्ष अन्तर्गत योजनाओं के चयन से लेकर कार्यान्वयन तक की प्रक्रिया का Flow chart संलग्न है।

IX नाबार्ड योजनाओं का अनुश्रवण :–

9.1 सभी कार्य प्रमंडलों के प्रधान सहायक के द्वारा माह के पॉच तारीख को मुख्यालय स्तर से निर्गत विपत्र में सभी योजनाओं का अद्यतन प्रतिवेदन मुख्यालय में उपलब्ध कराया जाता है एवं माह में एक बार सभी कार्यपालक अभियंताओं को मुख्यालय स्तर पर बैठक बुलाकर योजनाओं का अनुश्रवण किया जाता है।

9.2 सभी प्रमंडलों एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन का मुख्यालय स्तर पर ट्रांस वाइज प्रपत्र में योजना को अद्यतन किया जाता है।

9.3 गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा योजनाओं के गुणवत्ता की जाँच किया जाता है एवं नाबार्ड परियोजना के नोडल पदाधिकारी एवं सहायक अभियंताओं द्वारा भी सप्ताह में दो दिनों का क्षेत्र भ्रमण कार्य एवं योजनाओं का भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाता है।

9.4 जिन परियोजनाओं का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष के अंदर प्रारंभ नहीं होता है, उन परियोजनाओं को Non Starter Projects में लिया जाता है एवं इन परियोजनाओं की स्वीकृति नाबार्ड द्वारा रद्द कर दी जाती है।

X प्रतिपूर्ति दावा :–

10.1 नाबार्ड वित्त सम्पोषित योजनान्तर्गत कार्यान्वित हो रहे योजनाओं का मासिक/त्रैमासिक रूप से योजनाओं पर किये गये अद्यतन व्यय का ब्यौरा प्रतिपूर्ति दावा को प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाता है जिसे मुख्यालय स्तर पर प्रतिपूर्ति दावा प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग के माध्यम से नाबार्ड को उपलब्ध कराया जाता है।

10.2 नाबार्ड द्वारा योजना पर व्यय किये गये राशि का 80% राशि वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाता है एवं इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराया जाता है। जिसके आधार पर नाबार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराये गये राशि को अद्यतन कर लिया जाता है।

10.3 80% राशि में से मोबीलाईजेशन 20% उपलब्ध कराये गये राशि का कुछ प्रतिशत प्रत्येक प्रतिपूर्ति दावा में से Adjust कर लिया जाता है।

10.4 योजना पूर्णता प्रतिवेदन (पी0सी0आर0):–

योजना को पूर्ण हो जाने पर नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में संबंधित कार्यपालक अभियंता/पुल निर्माण निगम से सूचना प्राप्त कर नाबार्ड को उपलब्ध करा दिया जाता है। Annexure 'F' संलग्न।

10.4 पुनरीक्षित प्राक्कलन :–

कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् अगर योजना की राशि में दर बढ़ोतरी के कारण योजना के राशि में प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 20% के अंदर बढ़ोतरी होती है तो योजना का सम्बंधित मु0 अ0 द्वारा पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

अगर राशि में बढ़ोतरी 20% से अधिक होती है तो योजना का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के सचिव द्वारा प्रदान किया जाता है।

XI नाबार्ड योजना की उपलब्धि

11.1 इस कार्यक्रम के अंतर्गत नाबार्ड से प्राप्त होने वाले ऋण से उपलब्ध राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों एवं पुलों का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2010–11 तक आर0आई0डी0एफ0 (नाबार्ड) योजना अन्तर्गत योजनाओं का चयन छः चरणों में किया गया है। अब तक इस कार्यक्रम के तहत 2000 कि0मी0 सड़कों एवं 81 पुलों की स्वीकृति दी गयी है। अक्टूबर 2010 तक 1346 कि0मी0 सड़क एवं 14 पुलों का निर्माण पूरा किया गया है। यह योजना 2005–2006 से विभाग में लागू की गई है।

11.2 कार्यान्वयन एवं आवंटन का स्वरूप

- ✡ वर्ष 2005–2006 में बजटीय प्रावधान 10.00 करोड़ के विरूद्ध 10.157 करोड़ रू0 के तीन पुलों का कार्य प्रारम्भ किया गया है जिस पर उस वित्तीय वर्ष में 0.456 करोड़ रू0 व्यय हुआ।
- ✡ वर्ष 2006–2007 में 200.00 करोड़ बजटीय उपलब्ध के विरूद्ध 410.73 करोड़ रू0 की लागत पर 283 अदद सड़कों, जिनकी लम्बाई 1318 कि0मी0 है एवं 24 अदद पुलों का चयन किया गया। इनमें से 3 पुलों का निर्माण PMGSY द्वारा केन्द्रीय एजेंसी से कराया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 181.67 करोड़ रू0 व्यय करते हुए 13.22 कि0मी0 सड़क का कार्य पूर्ण किया गया।
- ✡ वर्ष 2007–2008 मे आवंटन 171.27 करोड़ रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ। इस वित्तीय वर्ष में 137 अदद सड़कों जिसकी लम्बाई 649.00 कि0मी0 थी का चयन किया गया। इसकी कुल लागत राशि 269.09 करोड़ रू0 है। इस वर्ष 163.75 करोड़ रू0 व्यय करते हुए 499.6 कि0मी0 सड़क का निर्माण किया गया।
- ✡ वर्ष 2008–2009 में 240 करोड़ रू0 का बजटीय उपबंध था जिसके विरूद्ध 5 अदद सड़क जिसकी लम्बाई 28.9 कि0मी0 है एवं 37 अदद पुलों का चयन किया गया। 37 अदद पुलों का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत केन्द्रीय